

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
24	136 LR Act	कोयला	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
विरेन्द्र कुमार वगै०	बनाम	राजस्थान सरकार	
ल :-	श्री अरविन्द सिंह हाडा एड०	आदेश पत्रक	वकील:-
नाक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ

21.05.2024

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरुद्ध अप्रार्थी के न्याया० में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ज सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.06.2024 को पेश हो।

[Signature]
22-5-24

25-6-24

मैजिस्ट्रेट अधिकारी को पत्रावली दिनांक 26-7-24 को प्रस्तुत की।

[Signature]
उप खण्ड अधिकारी बारां

30-12-24

~~पत्रावली आदेश में लक्ष्मण पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं मैजिस्ट्रेट को पत्रावली दिनांक 3-2-25 को प्रस्तुत की।~~

3-2-25

मैजिस्ट्रेट अधिकारी को पत्रावली दिनांक 26-3-25 को प्रस्तुत की।

[Signature]
उप खण्ड अधिकारी बारां

26-3-25

मैजिस्ट्रेट अधिकारी को पत्रावली दिनांक 30-5-25 को प्रस्तुत की।

[Signature]
उप खण्ड अधिकारी बारां

[Large Handwritten Mark]

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बारां

उनवान

विरेन्द्र कुमार बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या 10/24

दायरा तिथि :- 21.05.2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.05.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। रकबा - कमी पूर्ति के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल. आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुद्धियां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022(2) page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LRacT की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नहीं किया जा सकता है।</p> <p>इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा।</p> <p>निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(बनवारी लाल बैरवा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
बारां

030
नीना
गीता

आ
राह
Vik